(1)

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 9748.18 लाख (सन्तानवे करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना है, जिससे जल के अपव्यय को रोका जा सकता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करने से न केवल जल की बचत होती है बल्कि इस पद्धति में उपलब्ध उर्वरक संयत्र के उपयोग से कम उर्वरक में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के उपयोग से फसलों पर कीट व्याधि तो कम होते ही है, इसके साथ हीं खेतो में खर–पतवार तथा उत्पादन लागत में भी कमी आती है। कृषि उत्पादों के गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने वाले कृषकों जिनके पास जल स्रोत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें सहायतानुदान के रूप में निजी बोरवेल, पम्पसेट उपलब्ध कराया जायेगा।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(2)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सहायक अनुदान हेतु 15862.14981 लाख (एक सौ अनठावन करोड़ बासठ लाख चौदह हजार नौ सौ एकासी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं अधीनस्थ सभी महाविद्यालयों/इकाईयों/अनुसंधान संस्थानों का वित्तीय वर्ष 2026–27 में वेतन एवं पेंशन हेतु राशि राज्य स्कीम मद से भुगतान करना है।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
<u>कृषि विभाग।</u>

(3)

<u>प्रेस नोट</u>

वित्तीय वर्ष 2026–27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर, किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेन्टर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, फ्लेक्सी फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित कुल 23658.00 लाख (दो सौ छत्तीस करोड़ अनठावन लाख) रूपये की योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना ली गई है। आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है जिससे कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग कर फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकेगी।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई एवं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 3017.50 लाख (तीस करोड़ सतरह लाख पचास हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न फसलों के साथ ही मुख्य रूप से सब्जी की जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेती को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना तथा जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर जैव एवं कार्बनिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति का संरक्षण, मानव एवं अन्य प्राणियों के जीवन तथा पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा, जिससे फसल लागत मूल्य में कमी आयेगी तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

5

बिहार के युवाओं में निहित अप्रयुक्त क्षमता की खोज एवं उसे पोषित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा नई खेल भर्त्ती नीति (मेडल लाओ, नौकरी पाओ), बिहार राज्य खेल छात्रवृति योजना, प्रतिभा पहचान कार्यक्रम (मशाल) जैसी भिन्न–भिन्न नीतियों को लागू किया गया है। राज्य में वर्तमान खेल अवसंरचना तथा प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए एक समेकित नीति की आवश्यकता महसूस की गई। इसी क्रम में राज्य खेलों के समग्र विकास, खिलाड़ियों की क्षमता वृद्धि, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने एवं बिहार को एक अग्रणी खेल राज्य के रूप में विकसित करने हेतु बिहार खेल नीति, 2026 को स्वीकृति दी जाती है।

(दीपक आनन्द)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

6

पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक को लघु निर्माण मद में पूर्व में प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि के लिए बिहार पुलिस हस्तक खंड–1 के नियम–1150 एवं 1151(ख) में संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

(अमलेन्दु कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेस नोट

विषय :– विभिन्न आपराधिक कांड से संबंधित प्रदर्शों की जाँच के लिए राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला/पुलिस प्रयोगशाला (हैंडराइटिंग ब्यूरो)/अंगुलांक ब्यूरो (फिंगर प्रिंट ब्यूरो)/फोटो ब्यूरो का कार्यालय सृजित है। इन कार्यालयों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शों की जाँच करते हुए जाँच प्रतिवेदन फॉरेंसिक कार्यालयों द्वारा अपने स्तर से न्यायालय एवं अन्य प्राधिकार को समर्पित किया जाता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में देश के 32 राज्यों में से 23 राज्यों में फॉरेंसिक जाँच से संबंधित कार्यालय गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अपराधों के अन्वेषण के लिए फॉरेंसिक जाँच से संबंधित प्रदर्श वैज्ञानिक उद्भेदन के लिए मूल्यवान सूत्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसी स्थिति में फॉरेंसिक जाँच से संबंधित कार्यालयों को गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्रियाशील रखने से आपराधिक कांड से संबंधित वैज्ञानिक जाँच पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जा सकेगा।

27/1/26

(कुन्दन कुमार)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 53,71,47,500/– (तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हज़ार पाँच सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

किशनगंज जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यः– किशनगंज जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 3,892 गृह जल संयोजन, 14 Borewell का निर्माण (इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य सहित) एवं पूर्व के 10 Borewell का इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य, 14 Iron Removal Plant का अधिष्ठापन, 07 Pump House का निर्माण, 05 नए जलमीनार (110–1,958 KL क्षमता) का निर्माण, 100–600 मी0मी0 व्यास का 720 मी0 Clear Water राइजिंग मेन, 110–250 मी0मी0 व्यास का 178.21 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क एवं अन्य कार्य किया जायेगा, जिससे किशनगंज शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) लखीसराय जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 150,96,82,900/- (एक सौ पचास करोड़ छियानवे लाख बयासी हज़ार नौ सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

लखीसराय जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यः- लखीसराय जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 7,168 गृह जल संयोजन, 36.119 MLD के Intake Well का निर्माण, 35 MLD के WTP का निर्माण, 05 नए जलमीनार (1,040-1,550 KL क्षमता) का निर्माण, 600 मी0मी0 व्यास का 4.71 कि0मी0 RAW Water राइजिंग मेन, 100-600 मी0मी0 व्यास का 12.773 कि0मी0 Clear Water राइजिंग मेन, 110-450 मी0मी0 व्यास का 212.326 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क, SCADA प्रणाली एवं अन्य कार्य किया जायेगा, जिससे लखीसराय शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(10)

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत खैरा – सोनो पथ के 72वें कि०मी० में NH-333A पर नरियाना घाट, क्यूल नदी पर Old Damage Bridge के स्थान पर (16 x 29.85m) आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल ₹9382.29 लाख (तिरानबें करोड़ बयासी लाख उनतीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना जमुई जिला के क्यूल नदी के नरियाना घाट पर पुराने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 16 X 29.85m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण से संबंधित है, जो NH-333A के 72वें कि०मी० में अवस्थित है।

प्रस्तावित पुल का कैरेज वे 13 मीटर एवं कुल लम्बाई–504.05 मीटर है। पुल की कुल चौड़ाई–18 मीटर है, जिसमें दोनो तरफ 1.5 मीटर चौड़ाई में फुटपाथ शामिल है। इस कार्य में भू–अर्जन का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

(पंकज कुमार पाल),
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(11)

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत खैरा – सोनो पथ के 80वें कि०मी० में NH-333A पर मांगोबंदर में सुकनर नदी पर Old Damage Bridge के स्थान पर (9 x 29.85m) आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल ₹5596.12 लाख (पचपन करोड़ छियानबें लाख बारह हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना जमुई जिलान्तर्गत खैरा – सोनो पथ के 80वें कि०मी० में NH-333A पर मांगोबंदर में सुकनर नदी पर 9 X 29.85m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण से संबंधित है, जो NH-333A के 80वें कि०मी० में अवस्थित है।

प्रस्तावित पुल का कैरेज वे 13 मीटर एवं कुल लम्बाई–283.55 मीटर है। पुल की कुल चौड़ाई–18 मीटर है, जिसमें दोनो तरफ 1.5 मीटर चौड़ाई में फुटपाथ शामिल है। इस कार्य में भू–अर्जन का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

(पंकज कुमार पाल),
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

—:: प्रेस नोट::—

राज्य में ई–कैबिनेट प्रणाली लागू करने तथा इस हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 ज्ञ (त) के आलोक में नामांकन के आधार पर NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) का चयन एवं कार्य आवंटन की स्वीकृति के फलस्वरूप राज्य में ई–कैबिनेट प्रणाली लागू किये जाने से पूर्णतः सुरक्षित डिजिटल तकनीक आधारित कागज रहित वातावरण होगा, प्रशासनिक समय, परिचालन लागत तथा मानव–श्रम की बचत होगी एवं तेज, पारदर्शी तथा कार्यप्रवाह आधारित कार्यप्रणाली विकसित होगी।

25.1.2026

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

निबंधन की प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुख बनाने हेतु "बिहार निबंधन नियमावली, 2026" अधिसूचना संख्या–4219 दिनांक– 11.07.2026 द्वारा निर्गत है। उक्त नियमावली में पेपरलेस निबंधन के साथ–साथ 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक–11.07.2026 को पेपरलेस निबंधन की सुविधा का शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान की जाय।

अतः बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू होने के पश्चात मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत अंचल–पाटलिपुत्र, मौजा–ढ़कनपुरा, थाना सं0–07 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–1.00 एकड़ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की स्वामित्व की भूमि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के कार्यालय भवन–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–57,37,50,000/–(सत्तावन करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

(15)

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत हाइड्रोलॉजिस्ट **(Hydrologist)**, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट **(Hydro Geologist)** एवं जियोफिजिसिस्ट **(Geophysicist)** संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु "लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट जियोफिजिसिस्ट संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2026" की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट **(Hydrologist)**, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट **(Hydro Geologist)** एवं जियोफिजिसिस्ट **(Geophysicist)** संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद क्रमशः "हाइड्रोलॉजिस्ट **(Hydrologist)**, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट **(Hydro Geologist)** एवं जियोफिजिसिस्ट **(Geophysicist)**" होगा जो अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

3. इस संवर्ग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होगी । इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

4. हाइड्रोलॉजिस्ट **(Hydrologist)**, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट **(Hydro Geologist)** एवं जियोफिजिसिस्ट **(Geophysicist)** के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति होगी। हाइड्रोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जियोलॉजी **(Geology)**, हाइड्रोलॉजी **(Hydrology)** अथवा सिविल इंजीनियरिंग **(Civil Engineering)** में स्नातक होगी।

हाइड्रो जियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जियोलॉजी **(Geology)**, अप्लाइड जियोलॉजी **(Applied Geology)** या हाइड्रो जियोलॉजी **(Hydro Geology)** में स्नातक अथवा अन्य समकक्ष डिग्री होगी।

जियोफिजिसिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जियोफिजिक्स **(Geophysics)**, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स **(Exploration Geophysics)**, अप्लाइड जियोफिजिक्स **(Applied Geophysics)**, जियो एक्सप्लोरेशन **(Geo Exploration)**, फिजिक्स **(Physics)**, अप्लाइड फिजिक्स **(Applied Physics)**, जियोलॉजी **(Geology)** या अप्लाइड जियोलॉजी **(Applied Geology)** में स्नातक होगी।

साथ ही केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम में 03 वर्षों का न्यूनतम कार्यानुभव आवश्यक होगा।

सचिव
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

(69)

16

बिहार सरकार

विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से राज्य स्कीम अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय, पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउद्देशीय भवन (बी0+जी0+3) के निर्माण के निमित स्वीकृत प्राक्कलित राशि रू0–21,54,00,000/– को बहुउद्देशीय भवन (बी0+जी0+5) में परिवर्त्तित किये जाने के निमित पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0–57,33,89,200/–(सतावन करोड़ तैतीस लाख नवासी हजार दो सौ) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय राज्य स्कीम अन्तर्गत संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा।

अतः राज्य स्कीम अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय, पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउद्देशीय भवन (बी0+जी0+3) के निर्माण के निमित स्वीकृत प्राक्कलित राशि रू0–21,54,00,000/– को बहुउद्देशीय भवन (बी0+जी0+5) में परिवर्त्तित किये जाने के निमित पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0–57,33,89,200/–(सतावन करोड़ तैतीस लाख नवासी हजार दो सौ) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

21.07.16

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Prem Prakash\Ajay Ji-1\scheme administrative sanction\mantri parisad\press note.doc1.doc

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

17

संचिका संख्या– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–24/2025

प्रेस नोट

सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 60,49,99,000.00 (साठ करोड़ उनचास लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति से संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे अध्ययनरत् छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– हिमांशु शर्मा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :–विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

18

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या— वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना—25/2025

प्रेस नोट

सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों को मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर एंव अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 60,49,99,000.00 (साठ करोड उनचास लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026—27 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति से संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे अध्ययनरत् छात्र—छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :—

नाम :— हिमांशु शर्मा

पदनाम :— सचिव

विभाग का नाम :—विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

19

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

प्रेस नोट

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई0सी0डी0एस0) अंतर्गत छः वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं आदि को आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवाएँ, प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार–स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य अंतर्गत संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन हेतु सेविका/सहायिका का चयन किये जाने हेतु आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका– 2022 प्रभावी है।

आँगनवाडी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2026 की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिये जाने से राज्य में कुल 6141 सेविका एवं 16750 सहायिका अर्थात कुल 22891 रिक्त पदों पर शीघ्र चयन किया जा सकेगा।

नई मार्गदर्शिका के द्वारा राज्य में 22891 रिक्त पद भरे जा सकेंगे एवं पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग की महिलाओं का चयन सेविका/सहायिका के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

(एच.आर.श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग

20

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

बिहार सरकार ने राज्य में सब्जी उत्पादकों को सशक्त बनाने एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड की त्रि–स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, संघो एवं समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने तथा रिफर वाहन की व्यवस्था के लिए कुल राशि 1,06,39,24,750 (एक अरब छह करोड़ उनतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ पचास) रू0 मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में सब्जियों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था को नई गति मिलेगी, साथ ही किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा सहकारी संस्थाओं की भूमिका और अधिक सशक्त होगी।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

21

प्रेस नोट

बिहार में सहकारिता आंदोलन को सशक्त एवं भविष्योन्मुखी बनाने के लिए तथा विकसित बिहार राज्य की परिकल्पना में सहकारिता की वृहद भूमिका सुनिश्चित करने हेतु बिहार सहकारिता नीति 2026 का सूत्रण किया गया है। यह सहकारिता नीति एक तरफ जहाँ परंपरागत सहकारी समितियों को आधुनिकतम तकनीक एवं प्रबंधन प्रणाली के द्वारा सशक्त बनायेगी, वहीं नये गैर–परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन, सम्पोषण एवं सम्वर्द्धन का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस नीति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर युवा पीढ़ी एवं महिलाओं को सहकारी आंदोलन एवं सहकारी उद्यमों से जुड़ने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह नीति सही अर्थों में सर्वसमावेशी एवं संतुलित विकास के द्वारा "समृद्ध एवं विकसित बिहार" की परिकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

(धर्मेन्द्र सिंह) 27/1
सरकार के सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

22

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत ''समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार'' की परिकल्पना के अंतर्गत दरभंगा जिले के रैयाम एवं मधुबनी जिले के सकरी में गन्ना उद्योग विभाग के बंद चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जानी है। रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में नयी सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (byproducts) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि॰ (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

इससे संबंधित गन्ना उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्षेत्र की आर्थिक सम्पन्नता स्थापित होगी तथा अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकेगा। दूसरी ओर, इस प्रकार के चीनी कॉम्पलेक्स की स्थापना राज्य के निवेशकों के समक्ष एक पूर्वोदाहरण प्रस्तुत हो सकेगा जिससे राज्य में निवेश के लिए बेहतर वातावरण विकसित होगा।

27/07/20

(धर्मेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव।

23

बिहार सरकार
<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2733 दिनांक 07.04.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–28776 दिनांक 31.03.2026 द्वारा **बिहार के 19 न्यायमंडलों यथा पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद** एवं **लखीसराय** में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक–एक पद कुल 19 (उन्नीस) पदों को सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

G:\SEC-07\PAD SRIJAN\PRESS NOTE.docx

24

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2102 दिनांक 12.03.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–19758 दिनांक 27.02.2026 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–3 के अन्तर्गत पटना में अतिरिक्त 02 (दो) एवं मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त 01 (एक) विशेष न्यायालयों के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 03 (तीन) पदों को सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

G:\SEC-07\PAD SRIJAN\PRESS NOTE.docx